

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, चतरा।

सूचना

(90 दिवसीय मध्यस्थता अभियान)

(Mediation "For the Nation" campaign 90 Days Mediation Drive)

दिनांक: 01.07.2025 से 30.09.2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय नालसा, नई दिल्ली के निर्देश पर तथा झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, राँची के संरक्षण में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, चतरा द्वारा दिनांक: 01.07.2025 से 30.09.2025 तक विशेष मध्यस्थता का आयोजन, व्यवहार न्यायालय चतरा के मध्यस्थता केन्द्र में किया जाएगा। इसमें लम्बित सभी सुलहनीय मामलों को व्यवहार न्यायालय चतरा में आपसी सुलह-समझौता तथा मध्यस्थता के आधार पर किया जाएगा।

इसमें आप सभी अपने मामलों को समझौते के आधार पर निस्तारण करवा सकते हैं।

Matters pending under following categories may be referred for mediation.

MATRIMONIAL DISPUTES CASES, ACCIDENT CLAIMS CASES, DOMESTIC VIOLENCE CASES, CHEQUE BOUNCE CASES, COMMERCIAL DISPUTES CASES, SERVICE MATTER CASES, CRIMINAL COMPOUNDABLE CASES, CONSUMER DISPUTES CASES, DEBT RECOVERY CASES, PARTITION CASES, EVICTION CASES, LAND ACQUISITION CASES, OTHER SUITABLE CIVIL CASES.

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकार,

चतरा।